विधिक मापविज्ञान प्रभाग के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति

उपभोक्ता मामले विभाग

योग्यता और ईमानदारी की पहचान तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, अत्यधिक पारदर्शिता प्रदान करने और स्वनिर्णय प्रक्रिया को कम करने के दृष्टिकोण से तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या 82/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 के आदेश और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 जनवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/10/2013-स्था.ए के अनुपालन में, उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान प्रभाग के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के लिए स्थानांतरण/तैनाती संबंधी एक नई नीति तैयार की गई है। नई स्थानांतरण/तैनाती संबंधी नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगी।

2. इस स्थानांतरण नीति की मुख्य बातें निम्नानुसार है:

(i) विधिक माप विज्ञान प्रभाग के सभी समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की संस्तुति इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति द्वारा की जाएगी।

(ii) सभी स्थानांतरण आदेश, सामान्य रूप से, वर्ष में 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे और किसी भी मामले में 31 मई तक ही जारी किए जाएंगे।

(iii) यह स्थानांतरण नीति निदेशक (विधिक मापविज्ञान) के संबंध में लागू नहीं होगी।

(iv) समिति, प्रशासनिक सुविधा, आकस्मिकताओं, अधिकारियों की वरिष्ठता, आयु तथा पूर्व तैनाती प्रोफाईल को ध्यान में रखते हुए, उप निदेशकों/सहायक निदेशकों/माप विज्ञान सहायकों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तावों की संस्तुति करेगी।

(v) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) संयुक्त सचिव (उ.मा.) अध्यक्ष

(ख) निदेशक (स्थापना) सदस्य

(ग) निदेशक (विधिक मापविज्ञान) सदस्य

(घ) अवर सचिव (स्थापना) सदस्य सचिव

3. उप निदेशक, सहायक निदेशक और माप विज्ञान सहायकों की तैनाती का कार्यकाल एक स्थान पर क्रमशः 5-वर्ष, 6-वर्ष औऱ 7 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। किसी स्थान पर 9-माह से अधिक की तैनाती (विगत वर्ष की 31 दिसम्बर के अनुसार संगणित) का कार्यकाल एक पूर्ण वर्ष के रूप में माना जाएगा और तैनाती की अवधि का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से गणतित किया जाएगा।

4. तैनाती का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी अधिकारी को क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के बीच रोटेट किया जाएगा।

5. अधिकारी को अनिवार्य रूप से 3 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों (गुवाहाटी) में तैनात किया जाएगा। किसी अधिकारी को पूर्वोत्तर राज्यों में उसकी तैनाती का कार्यकाल पूरा होने के बाद, तैनाती के स्थान का चयन करने के लिए, यथासंभव सीमा तक, प्राथमिकता दी जाएगी।

6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में रोटेशनल स्थानांतरण नीति/स्थानांतरण नीति से छूट प्राप्त होगी।

7. इस नीति में, कोई भी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, लोक हित में, किसी भी अधिकारी को किसी भी स्थान पर तैनात कर सकते हैं। ऐसा अधिकारी, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई हो अथवा विचार किया जा रहा हो, को सामान्य रूप से उस स्थान जहां सतर्कता कार्रवाई संबंधी बाद आरम्भ किया गया है, पर तैनात अथवा बनाए रखा नहीं जाएगा। ये प्रतिबंध तब तक संचालन में रहेंगे जब तक सतर्कता मामला बंद नहीं हो जाता।